संख्या-42/2023/111/2023/22-4-2023-140(ब)/97-1369563

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक- 29 मार्च, 2023

विषय- जनपद- महोबा में नवीन जिला कारागार (बन्दी क्षमता 990) के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4546/नम-2/ महोबा नवीन कारागार (भाग-2)/2022, दिनांक 13.02.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद महोबा में नवीन जिला कारागार के निर्माण कराये जाने हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा प्रायोजना की लागत रू0 20342.99 लाख की लागत पर अनुमोदन प्रदान किये जाने के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद महोबा में नवीन जिला कारागार के निर्माण कराये जाने हेतु प्रायोजना लागत धनराशि रू० 20342.99 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति सहित धनराशि रू० 2500.00 लाख (रुपये पच्चीस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(2) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। प्रशासकीय विभाग द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(3) प्रायोजनान्तर्गत कतिपय कार्यमद यथा किचेन, हास्पिटल सेफ्टी,फर्नीचर, सी0सी0टी0वी0 सिस्टम, सोलर पावर सिस्टम, यू0पी0एस0, फेन्सिंग एण्ड सेफ्टी कवर, पी0ए0 सिस्टम, ई0पी0बी0एक्स सिस्टम,वीडियो कार्यफ्रेंस सिस्टम, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, एक्स-रे बैगेज स्कैनर, हेण्ड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, वाकी-टॉकी की लागत अनुमन्य नहीं की गयी है। प्रशासकीय विभाग इन कार्यमदों पर पृथक पत्रावली के माध्यम से वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करेंगे।

(4) प्रायोजना में मिटटी / स्टोन कटिंग एवं भराई मद में यथा- मैनुअल मिट्टी खुदाई, मैकेनिकल स्टोन कटिंग, लो लैण्ड एरिया में मिटटी भराई, सरप्लस मिटटी/ स्टोन का निस्तारण, स्टोन कटिंग हेतु रायल्टी, मोरम कटिंग हेतु रायल्टी, मिटटी कटिंग हेतु रायल्टी, अर्थात कुल 1145.94 लाख की धनराशि प्रस्तावित की गयी है। पूर्व में जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा इस मद में रू0-2153.82 लाख की धनराशि संस्तुत की गयी है। मिटटी की रायल्टी को अनुमन्य न करते हुए कुल रू0- 1141.13 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। जिलाधिकारी समिति की रिपोर्ट के अनुसार कटिंग से प्राप्त सामग्री की सार्वजनिक नीलामी की जाये तथा सार्वजनिक नीलामी से प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा करा दिया जाय तथा समिति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

द्वारा यह निर्देश दिया गया कि अनुमन्य धनराशि पर वर्तमान जिलाधिकारी की संस्तुति प्राप्त कर ली जाये।

(5) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/प्रशासनिक विभाग का होगा।

(6) प्रायोजना की लागत का अनुमोदन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(7) प्रायोजना का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टयों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे - नये कार्य बढाना, कार्यो के आकार/क्षेत्रफल में वृद्वि तथा उच्च विशिष्टयॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(8) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा ।

(10) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाएगा।

(11) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा धनराशि आहरित करने से पूर्व द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि उक्त धनराशि पूर्व में स्वीकृत नहीं की गयी है।

(12) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाना होगा।

(13) निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा। महानिरीक्षक, कारागार द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन में टाइम ओवर रन कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 21.06.2017 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(14) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07.06.2022 एवं दिनांक 04.11.2022 में निहित प्राविधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये अवशेष धनराशि स्वीकृत की जायेगी तथा शासनादेश दिनांक 26.08.2014 एवं दिनांक 15.06.2018 के अनुसार परीक्षणोपरान्त सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

(15) लेवर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा ।

(16) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा उपकरणों का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उघम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से किया जायेगा।

(17) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी वह कार्य की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत् का उपभोग करने के उपरान्त अगले 06 माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाए।

(18) प्रायोजना हेतु जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(19) क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं उनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसिफिकेशन के अन्तर आना स्वाभाविक हैं।

(20) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(21) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।

(22) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक- 31 मार्च, 2023 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2500.00 लाख (रुपये पच्चीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-025 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-08-कारागारों का निर्माण -24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-12-869-X-2022-23-दिनांक : 29 मार्च, 2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-42/2023/111(1)/2023/22-4-2023-140(ब)/97-1369563 **तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज |
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज ।
(3) मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, महोबा।
(5) कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
(6) अधीक्षक/वरिष्ठ जेल अधीक्षक महोबा।
(7)निदेशक, वित्तीय सांख्कीयि निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(9) वित्त नियंत्रक, कारागार, मुख्यालय, लखनऊ।
(10) वित्त (व्यंय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय व्यायक) अनुभाग-1/2
(11) गाई फाईल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।